बनाम

1. इन्दिराकुमारी पिता दीवाकर ब्राम्हण निवासी नंदवाई हा.मु.बेगूँ तह0 बेगूँ
2. राजेश कुमार पिता सत्येन्द्र ब्राम्हण निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
3. अशोक कुमार पिता सत्येन्द्र ब्राम्हण निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
4. अनिलकुमार पिता सत्येन्द्र ब्राम्हण निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
5. यशोदा पत्नि स्व. सत्येन्द्र ब्राम्हण निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
6. भरतकुमार पिता गिरीशकुमार ब्राम्हण निवासी नंदवाई हा.मु.बेगूँ तह0 बेगूँ
7. रजतकुमार पिता गिरीशकुमार ब्राम्हण निवासी नंदवाई हा.मु.बेगूँ तह0बेगूँ
8. मायादेवी पत्नि स्व. गिरीशकुमार ब्राम्हण निवासी नंदवाई हा.मु.तह0 बेगूँ
9. दिनेश कुमार पिता प्रभाकर ब्राम्हण निवासी नंदवाई हा.मु. बेगूँ तह0बेगूँ
10. नवीनकुमार पिता प्रभाकर ब्राम्हण निवासी नंदवाई हा.मु.उदयपुर
11. कृष्णा पिता प्रभाकर ब्राम्हण निवासी नंदवाई हा.मु.बेगूँ तह.बेगूँ
12. भगवती पिता प्रभाकर ब्राम्हण निवासी नंदवाई हा.मु. बेगूँ तह0 बेगूँ
13. मॉगीबाई पत्नि स्व.प्रभाकर ब्राम्हण निवासी नंदवाई हा.मु.बेगूँ तह0 बेगूँ
14. राजीवलोचन पिता सदाशिव ब्राम्हण निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
15. हंसा पिता सदाशिव ब्राम्हण निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
16. मंग्ला पिता सदाशिव ब्राम्हण निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
17. वंदना पिता सदाशिव ब्राम्हण निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
18. गायत्री पिता सदाशिव ब्राम्हण निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
19. महेशचन्द्र पिता जमनालाल ब्राम्हण निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
20. मदनलाल पिता जमनालाल ब्राम्हण निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
21. रमेशचन्द्र पिता जमनालाल ब्राम्हण निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
22. हरिशचन्द्र पिता जमनालाल ब्राम्हण निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
23. भंवरलाल पिता रूपा धाकड निवासी घनश्यामपुरा तह0 बेगूँ
24. बरदा पिता रूपा धाकड निवासी घनश्यामपुरा तह0 बेगूँ
25. मेघराज पिता रूपा धाकड निवासी घनश्यामपुरा तह0 बेगूँ
26. लाभचन्द्र पिता जगदीश धाकड निवासी घनश्यामपुरा तह0 बेगूँ
27. प्रेमबाई पत्नि स्व. जगदीश धाकड निवासी घनश्यामपुरा तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 27

निर्णय दिनांक : 21.08.2020

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी./DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश/ परिपत्र/ कमांक/ बीआर/ एलआर/ एन.एल.आर.एम.पी./एफ–126 /पार्ट–2/ 10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 सह एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु रखाया गया दिनांक 11.08.2020 को सभी काश्तकार उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली को आगामी पेशी 21.8.2020 को नियत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:42:39 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 1327 दिनांक 27.07.2020 से अवगत कराया कि ग्राम घनश्यामपुरा में खाता संख्या 04 सं. 2073–76 आराजी संख्या 629, 638, 639, 640, 642,643, 644, 646, 648 किता–10 रकबा 6.16 हैक्टर श्री

-----लगातार

आनलाईन किया जाना आवश्यक है। सरकार के आदेश क्रमांक [illegible] उनके हिस्से करना आवश्यक होने के कारण आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल. आर.एक्ट की धारा 136 के तहत हिस्से की घोषणा बाबत अनुशंसा की गई है।

प्रतिवादीगण जरिये नोटिस तलब किया जाकर लोक अदालत कैम्प ग्राम नंदवाई पर दिनांक 11.8.2020 को रखाया गया, पत्रावली में समस्त प्रतिवादीगण उक्त तारीख पर उपस्थित आए जिन्हें कैम्प कोर्ट में सुना गया, प्रतिवादीगण उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा घनश्यामपुरा में वादवर्णित आराजी किता– 10 रकबा 6.16 हैक्टर भूमि उनकी सामलाती भूमि है, एवं सेटलमेन्ट रेकार्ड में ग्राम शिवपुरा (घनश्यामपुरा ग्राम शिवपुरा से टूटकर नवीन ग्राम है) में खाता संख्या 36 पर भागीरथ जमनालाल पिता ऊँकारलाल ब्राम्हण, रामनिवास पिता रामकरण महाजन साकिन नंदवाई के नाम पर दर्ज था, उक्त खाते में से रामनिवास पिता रामकरण महाजन द्वारा स्वयं की कब्जेशुदा आराजी संख्या 644 रकबा 1बीघा व आराजी नं. 646 रकबा 9बीघा 01 बिस्वा भूमि का बेचान रूपा पिता खेमा धाकड को किया जिसका नामान्तरण संख्या 56 दर्ज किया गया जिसमें सम्पूर्ण खाता किता–10 रकबा 38बीघा 01 बिस्वा (6.16 हैक्टर) मे विक्रेता रामनिवास के बजाय रूपा पिता खेमा का नाम प्रस्तावित किया गया। उक्त नामान्तरण को पंजीकृत दस्तावेज के अनुसार दर्ज नहीं किया जाकर सम्पूर्ण खाते की आराजी में क्रेता रूपा पिता खेमा धाकड को सभी वर्णित आराजी खसरा नम्बरान में हिस्सेदार बताया गया तथा नामान्तरण में उनके हिस्से भी दर्ज नहीं किये गये। उक्त नामान्तरण पर ग्रामपंचायत, नंदवाई द्वारा किये गये निर्णय दिनांक 10.02.2003 में क्रेता का हिस्सा 1/3 अंकित किया गया किन्तु उक्त हिस्से का अमल राजस्व रेकार्ड में नहीं किया जाने से उक्त खाता अपवादित खाता हुआ है।

उक्त आराजी में विरासत एवं हकत्याग की कार्यवाही से उक्त त्रुटी लगातार चलती रही जिससे खाता पूर्णतया अपवादित रहा है, वर्तमान में उक्त खात में जो हिस्से बनते है वह इस प्रकार से है खातेदार इन्दिराकुमारी पिता दीवाकर का हिस्सा 11/540, राजेशकुमार, अशोककुमार, अनिलकुमार पिता सत्येन्द्र व यशोदा पत्नि स्व. सत्येन्द्र का हिस्सा 121/540, भरतकुमार, रजतकुमार पिता गिरीशकुमार, मायादेवी पत्नि स्व. गिरीशकुमार का हिस्सा 11/540, [illegible] कृष्णा, भगवतीदेवी पिता प्रभाकर, मॉगीबाई पत्नि स्व. प्रभाकर [illegible] राजीवलोचन, हंसा,मंगला, वंदना,गायत्री पिता सदाशिव का हिस्सा [illegible] सुरेशचन्द्र, मदनलाल, रमेशचन्द्र,हरिशचन्द्र पिता जमनालाल का हिस्सा 4[illegible]/150, भंवरलाल, बरदा, मेघराज पिता रूपा धाकड , लाभचन्द्र पिता जगदीश, प्रेमबाई पत्नि स्व. जगदीश धाकड का हिस्सा 4/15 बनता है। अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने एवं राज्य सरकार के निर्देश

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:42:39 IST
Reason: SelfAttested

-----लगातार

DILRMP के तहत सहखातेदारान के संयुक्त खातो मे दर्ज हिस्सो को अलग अलग घोषित किया जाने के निर्देश होने एवं वाद वर्णित आराजीयात में सेटलमेन्ट के समय से ही वर्णित आराजीयात का खाता संयुक्त ही दर्ज राजस्व रिकोर्ड होने से सहखातेदारान के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाने की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा घनश्यामपुरा की आराजी संख्या 629, 638, 639, 640, 642,643, 644, 646, 648 किता–10 रकबा 6.16 हैक्टर भूमि मे खातेदार इन्दिराकुमारी पिता दीवाकर का हिस्सा 11/540, राजेशकुमार, अशोककुमार, अनिलकुमार पिता सत्येन्द्र व यशोदा पत्नि स्व. सत्येन्द्र का हिस्सा 121/540, भरतकुमार, रजतकुमार पिता गिरीशकुमार, मायादेवी पत्नि स्व. गिरीशकुमार का हिस्सा 11/540, दिनेशकुमार, नवीनकुमार कृष्णा, भगवतीदेवी पिता प्रभाकर, मॉगीबाई पत्नि स्व. प्रभाकर का हिस्सा 55/540, राजीवलोचन, हंसा,मंगला, वंदना,गायत्री पिता सदाशिव का हिस्सा 11/150, महेशचन्द्र, मदनलाल, रमेशचन्द्र,हरिशचन्द्र पिता जमनालाल का हिस्सा 44/150, भंवरलाल, बरदा, मेघराज पिता रूपा धाकड , लाभचन्द्र पिता जगदीश, प्रेमबाई पत्नि स्व. जगदीश धाकड का हिस्सा 4/15 खातेदार घोषित किया जाता है तथा रहन बदस्तूर रखे जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कैलाशचन्द्र गुर्जर)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:42:39 IST
Reason: SelfAttested